न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1)प्रकरण सं0–अपील डिक्री/टीए/6202 /2005/हनुमानगढ़

1– अंग्रेज सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति जट सिख, निवासी लालगढ़, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

2– प्रीतम सिंह पुत्र फुमण सिंह, जाति कुम्हार, निवासी लालगढ़, तहसील सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1– बीरबलराम पुत्र दुलाराम उर्फ दूलीचंद,

2– बनवारीलाल पुत्र दुलाराम उर्फ दूलीचंद (मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1– मु0 कलावती पत्नि,

2/2– शंकरलाल पुत्र बनवारीलाल,

2/3– रामनिवास पुत्र बनवारीलाल,

2/4– पालाराम पुत्र बनवारीलाल,

2/5– ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल,

2/6– सुलोचना पुत्री बनवारीलाल,

2/7– राजो पुत्री बनवारीलाल,

2/8– विमला पुत्री बनवारीलाल,

2/9– धापा पुत्री बनवारीलाल,

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी गोलूवाला, तह0 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

3– मु0 कलावती पत्नि कालूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

3/1– ओम प्रकाश,

3/2– सतपाल,

3/3– रामनारायण पुत्रगण कालूराम,

3/4– गीतादेवी,

3/5– मनोहरी देवी,

3/6– लाली देवी,

3/7– बादू देवी पुत्रियान कालूराम,

4– मु0 दानी पत्नि प्रयागराम पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी कानोर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

5– चन्द्रमुखी पत्नि अमीलाल पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहमण, निवासी दर्जीयो वाली गली के पास, फतियाबाद, तह0 फतियाबाद, जिला हिसार (हरियाणा)

6– सिंगारी पत्नि चन्दूराम पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी जीवाली, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर ।

7– तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

–रेस्पोर्डेंटस

(2)प्रकरण सं0–अपील डिक्री/टीए/6204 /2005/हनुमानगढ़

1– अंग्रेज सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति जट सिख, निवासी लालगढ़, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

2– प्रीतम सिंह पुत्र फुमण सिंह, जाति कुम्हार, निवासी लालगढ़, तहसील सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर ।

–अपीलांटस

बनाम

1– बीरबलराम,

2– बनवारीलाल पुत्र दुलाराम उर्फ दूलीचंद (मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1– मु0 कलावती पत्नि,

2/2– शंकरलाल पुत्र बनवारीलाल,

2/3– रामनिवास पुत्र बनवारीलाल,

2/4– पालाराम पुत्र बनवारीलाल,

2/5– ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल,

2/6– सुलोचना पुत्री बनवारीलाल,

2/7– राजो पुत्री बनवारीलाल,

2/8– विमला पुत्री बनवारीलाल,

2/9– धापा पुत्री बनवारीलाल,

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी गोलूवाला, तह0 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

3– मु0 कलावती पत्नि कालूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

3/1– ओम प्रकाश,

3/2– सतपाल,

3/3– रामनारायण पुत्रगण कालूराम,

3/4– गीतादेवी,

3/5– मनोहरी देवी,

3/6– लाली देवी,

3/7– बादू देवी पुत्रियान कालूराम ।

4– दानी पत्नि प्रयागराम पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी कानोर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

5– चन्द्रमुखी पत्नि अमीलाल पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहमण, निवासी दर्जीयो वाली गली के पास, फतियाबाद, तह0 फतियाबाद, जिला हिसार (हरियाणा)

6– सिंगारी पत्नि चन्दूराम पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी जीवाली, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर ।

7– तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

–रेस्पोडेंटस

(3)प्रकरण सं0–अपील डिक्री/टीए/6207 /2005/हनुमानगढ़

1– अंग्रेज सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति जट सिख, निवासी लालगढ़, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

2– प्रीतम सिंह पुत्र फुमण सिंह, जाति कुम्हार, निवासी लालगढ़, तहसील सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1– बीरबलराम,

2– बनवारीलाल पुत्र दुलाराम उर्फ दूलीचंद (मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1– मु0 कलावती पत्नि,

2/2– शंकरलाल पुत्र बनवारीलाल,

2/3– रामनिवास पुत्र बनवारीलाल,

2/4– पालाराम पुत्र बनवारीलाल,

2/5– ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल,

2/6– सुलोचना पुत्री बनवारीलाल,

2/7– राजो पुत्री बनवारीलाल,

2/8– विमला पुत्री बनवारीलाल,

2/9– धापा पुत्री बनवारीलाल,

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी गोलूवाला, तह0 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

3– मु0 कलावती पत्नि कालूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

3/1– ओम प्रकाश,

3/2– सतपाल,

3/3– रामनारायण पुत्रगण कालूराम,

3/4– गीतादेवी,

3/5– मनोहरी देवी,

3/6– लाली देवी,

3/7– बादू देवी पुत्रियान कालूराम ।

4– दानी पत्नि प्रयागराम पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी कानोर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

5– चन्द्रमुखी पत्नि अमीलाल पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहमण, निवासी दर्जीयो वाली गली के पास, फतियाबाद, तह0 फतियाबाद, जिला हिसार (हरियाणा)

6– सिंगारी पत्नि चन्दूराम पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी जीवाली, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर ।

7– तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

–रेस्पोर्डेंटस

खण्डपीठ

मंजू राजपाल, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ओ0पी0 मोदी, तीनों अपीलों के अधिवक्ता अपीलार्थी ।

निर्णय

दिनांकः–08.04.2022

अपीलांट द्वारा तीनों द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानढ़ द्वारा पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2005 के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई हैं।

2– तीनों अपीलों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 बीरबलराम के द्वारा धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के समक्ष बाबत् खातेदार घोषणा एवं विभाजन का वाद संख्या 384/99 पेश किया। इसी प्रकार बीरबलराम द्वारा एक अन्य वाद संख्या 76/99 अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया । इसी प्रकार मु0 सिंगारी के द्वारा भी धारा 53 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत् विभाजन एवं कब्जेयाबी का वाद पेश किया गया । प्रस्तुत चारों वादों में वादग्रस्त भूमि चक 23 जे0आर0के0 की 5.502 है0 एवं चक 3 एच0डी0पी0 की 12.903 हैक्टर कुल 18.405 हैक्टर भूमि निहित होने से अधीनस्थ न्यायालय ने सभी दावों को वाद संख्या 384/99 में समेकित करने का आदेश दिया । तत्पश्चात् विद्वान सहायक कलक्टर, पीलीबंगा ने पक्षकारान से शहादत, सबूत लेकर एवं बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2004 के द्वारा वाद संख्या 384/99 एवं वाद संख्या 76/99 को डिक्री किया एवं वाद संख्या 77/99 एवं वाद संख्या 42/89 को खारिज किया गया । विद्वान सहायक कलक्टर, पीलीबंगा एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2004 के विरूद्ध अपीलांटस ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पृथक–पृथक तीन प्रथम अपीलें प्रस्तुत की । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2005 द्वारा अपीलांटस की तीनों अपीलें खारिज करने के आदेश पारित किये जिससे व्यथित

होकर अपीलांटस ने यह तीनों द्वितीय अपीलें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है ।

4– तीनों अपीलों में पक्षकारान, विवादित भूमि समान होने से तथा तीनों अपीलें एक ही निर्णय के विरूद्ध होने से तीनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर तीनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

3– हमनें अपीलांटस के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी।

4– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित कुल भूमि 75 बीघा राजस्व रिकार्ड में सोना देवी बेवा दूलाराम के नाम दर्ज थी जो सोना देवी की मृत्यु के बाद उसके 6 वारिसान यथा 2 पुत्र व 4 पुत्रियों के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज की गई है । इस प्रकार सोना देवी का प्रत्येक वारिसान विवादित आराजियात में 12 बीघा 10 बिस्वा का अधिकारी एवं खातेदार हुआ । सोना देवी की एक पुत्री चन्द्रमुखी ने अपने हिस्से की भूमि में से 5 बीघा भूमि अपीलांट प्रीतमसिंह को विक्रय कर दी एवं 3 बीघा भूमि अपीलांट संख्या 1 अंग्रेजसिंह को विक्रय कर दी तथा विक्रय की गई भूमि संपूर्ण प्रतिफल क्रेतागण से प्राप्त कर लिया था। अपीलांटस ने विद्वान सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के समक्ष एक दावा 77/99 अंतर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसे विद्वान सहायक कलक्टर, पीलीबंगा ने गलत व विधि विरूद्ध खारिज कर दिया । इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा भी विद्वान सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के न्यायालय में वाद संख्या 76/99 प्रस्तुत किया गया था जिसे

अधी0न्याया0 ने विधि विरूद्ध डिक्री कर दिया । जबकि अपीलांट्स विवादित आराजी के सहखातेदार एवं सहहिस्सेदार है । सहहिस्सेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञ की डिक्री जारी नहीं की जा सकती है । अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2004 के विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमान गढ़ के समक्ष तीन पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया । जबकि विवादित भूमि सोना देवी से पहले दूलाराम की थी । दूलाराम ने अपनी भूमि का पंजीकृत तमलीकनामा दिनाक 30.5.1953 को सोना देवी के पक्ष में करवा दिया था जिसके आधार पर भूमि राजस्व रिकार्ड में सोना देवी के नाम दर्ज हो गई थी और सोना देवी भूमि की एकमात्र अधिकारी एवं खातेदार हो गयी थी। सोना देवी की मृत्यु के उपरांत उसके समस्त वारिसान बहिस्सा बराबर के अधिकारी हुए । दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने तमलीकनामा दिनांक 30.5.1953 को शून्य घोषित करने में कानूनी भूल की है । तमलीकनामा को निरस्त करने अथवा शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि ऐसा क्षेत्राधिकार सिविल न्यायलय को है । बहस में आगे कथन किया कि चन्द्रमुखी 12 बीघा 10 बिस्वा की रिकार्डेड खातेदार थी उसने अपने हिस्से की भूमि में से 8 बीघा अपीलांट्स को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बयनामा बय कर दी है । बयनामा को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है । अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत बयनामा को शून्य मानकर कानूनी त्रुटि की है । विवादित भूमि दूलाराम की थी तथा दूलाराम को उसके पिता से विवादित भूमि प्राप्त होना रेस्पो0 संख्या 1 ने साबित नहीं किया है । यदि दूलारारम को उसके पिता से प्राप्त होना साबित भी किया जाता है तो भी दूलाराम के पिता श्रीराम की मृत्यु के समय दूलाराम अकेला ही श्रीराम का वारिस

था । दूलाराम के पुत्रों बीरबलराम व बनवारीलाल का जन्म ही नहीं हुआ था इसलिये दूलाराम अकेला ही भूमि का अधिकारी एवं खातेदार था । अधीनस्थ न्यायलय ने चार दावों का निर्णय एक साथ किया है किन्तु सभी दावों में विधिवत् रूप से तनकीयात कायम नहीं की गई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त तनकीयात पर विधिवत विवेचन किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने भी इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलें खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2005 एवं सहायक कलक्टर, पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2004 निरस्त किये जावे तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जावे।

5– प्रकरण में अपीलार्थीगण के अभिभाषक की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजात पर विचारण किया गया ।

6– विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2005 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2004 को यथावत् रखा गया है । प्रकरण में विवाद का बिन्दू दुलाराम द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की माता मु0 सोना के पक्ष में दिनांक 30.05.1953 को रजिस्टर्ड तमलीकनामे के आधार पर विवादित आराजी के समस्त हक का त्याग करने को लेकर है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी दरमियानी संवत् 1992 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि श्रीराम पुत्र भीखाराम के नाम दर्ज है जो प्रदर्श–4 है । श्रीराम के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि दुलाराम के नाम दर्ज होना साबित होता है । इसलिये वादग्रस्त भूमि दुलाराम की स्वअर्जित साबित नहीं होती है। विवादित भूमि स्वअर्जित होने संबंधी कथनों को अपीलांटस ने किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं करवाया है। इसके

विपरीत विवादित आराजियात दुलाराम को उसके पिता से प्राप्त होना सिद्ध है । वादग्रस्त आराजियात पैतृक होने से उसमें वादी का अपने पिता के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है । परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को निर्णित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है । अपीलांटस का यह कथन कि दुलाराम को अपनी स्वअर्जित सम्पति होने के कारण वह तमलीक कर सकता था स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्रदर्श–4 से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात दुलाराम को उसके पिता श्रीराम से विरासत से प्राप्त हुई थी । दुलाराम द्वारा अपने हक 1/3 हिस्से से अधिक भूमि का तमलीकनामा वादी के हितों पर निर्णय दिनांक 16.01.2004 द्वारा प्रभावहीन घोषित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । जहां तक उक्त निर्णय में तनकी संख्या 3 का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादिया संख्या 3 लगायत 5 वादी की बहनें है जिनके द्वारा अपना हक छोड़ा जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया गया है, जिसे इस न्यायालय के अभिमत में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2005 से यथावत् रखे जाने में कोई विधि विरूद्ध निर्णय नहीं किया है । शेष तनकीयात 4 ता 8 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 1 ता 3 का विवेचन सारभूत रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि वादी व प्रतिवादी 1 ता 5 निर्विवाद रूप से दुलाराम के विधिक वारिसान है एवं दुलाराम द्वारा विवादित आराजी में अपने 1/3 पैतृक हिस्से के प्रमाणित होने पर संपूर्ण आराजी बाबत् अपनी पत्नी व प्रतिवादीगण/वादी की माता मु0 सोना के पक्ष में तमलीकनामा दिनांक 30.05.1953 को विधिशून्य पाए जाने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की हद तक निष्प्रभावी मानते हुए तमलीकनामे के अथवा मौखिक आधार पर प्रतिवादी नंबर 5 को विवादित आराजी में 12 बीघा 05 बिस्वा भूमि काबिज होने से अपने 1/6 हिस्से की हद के बाहर जाकर किए बयनामे को प्रभावशून्य

करार करने के उभय न्यायालयों के निर्णयों को विधिविरूद्ध नहीं कहा जा सकता है । प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने दौराने दावा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 से क्रय की है । जब प्रतिवादी संख्या 4 को विवादित आराजी में अपने विधिवत् हिस्से से अधिक विक्रय का अधिकार नहीं है तो वह अपने हक व हिस्से से ज्यादा का बैयनामा निष्पादित करवाने में सक्षम नहीं माना जावेगा। परीक्षण न्यायालय ने हक से अधिक भूमि का विक्रय पत्र निष्प्रभावी होने की सह अवधारण कायम की है, जिसके लिए राजस्व न्यायालय विधि से अधिकृत है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अपने अधिकारों की घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय की सक्षमता संदेह से परे है ।

7– अपीलांट्स से यह अपेक्षित है कि अधीनस्थ एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उभय निर्णयों के सारभूत तथ्यों को विधि विरूद्ध निर्णित मानते हुए चुनौती दिये जाने पर यह किसी दस्तावेजी साक्ष्य से यह पुष्ट करते कि विवादित आराजी स्वंय दूलाराम को अपने पिता श्रीराम पुत्र भीखाराम से प्राप्त होने के स्थान पर स्वअर्जित है ताकि विवादित आराजी बाबत् दिनांक 30.05.1953 को पंजीबद्ध तमलीकनामे को विधिवत् मानने पर विचारण किया जा सके । अपीलांट्स द्वारा इस आशय की साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल पाए जाने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2004 को पारित निर्णय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विधिक रूप से विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.10.2005 द्वारा यथावत् रखने के समवर्ती निर्णयों (Concurrent decision) में दखलदांजी का यह न्यायालय कोई औचित्य नहीं देखती है । परिणामस्वरूप हस्तगत तीनों अपीलें सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य पायी जाती है ।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत तीनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर, राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 31.10.2005 एवं सहायक कलक्टर, पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2004 यथावत् रखे जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(मंजू राजपाल)
सदस्य